राजस्थान राज्य महिला आयोग

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

2015—2016

राजस्थान राज्य महिला आयोग

लाल कोठी, टोंक रोड, जयपुर

फोन : 2779001—4   फैक्स : 2779002

E-mail : raj. rajyamahilaaaayog@gmail.com

Web-site : rscw.rajasthan.gov.in

Helpline no. 1091 (Toll Free) 18001806781

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
अध्याय – 1	संगठन व शक्तियां	1–11
अध्याय – 2	आयोग का कार्यक्षेत्र	12–15
अध्याय – 3	वर्ष 2015–16 में प्राप्त शिकायतों का विवरण	16
अध्याय – 4	आयोग का वित्तीय स्वरूप	17
अध्याय – 5	आयोग द्वारा निस्तारित सफल प्रकरणों का विवरण	18
अध्याय – 6	महिला हेल्पलाइन	19–20
अध्याय– 7	कार्यशाला आयोजन	21
अध्याय– 8	प्रसंज्ञान एवं जांच	22–25
अध्याय– 9	राज्य सरकार को प्रेषित अनुशंसाएं	26

अध्याय –1
संगठन व शक्तियाँ

राजस्थान में महिला आयोग की स्थापना

राजस्थान में राज्य महिला आयोग की स्थापना के लिये राज्य सरकार द्वारा 23 अप्रेल, 1999 को एक विधेयक राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किया गया। इस विधेयक के पारित होने पर दिनांक 15 मई, 1999 को राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन किया गया।

आयोग की संरचना

आयोग के अधिनियम की धारा 3(2) के अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जाने वाले सदस्य और सदस्य सचिव सहित चार सदस्य होंगे। सदस्यों में से एक अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की और एक अन्य पिछड़ी जाति की महिला होगी।

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प-17(1)(4)//निमअ/रामआ/2012/32740 दिनांक 17.10.2015 तथा प-17(1)(4)//निमअ/रामआ/2012/42533 दिनांक 18.01.2016 के अनुसार आयोग में अध्यक्ष तथा सदस्यगण का पदस्थापन निम्नानुसार रहा है:–

नाम	पद	पद ग्रहण करने की तिथि
श्रीमती सुमन शर्मा	अध्यक्ष	20.10.2015
डॉ0 रीता भार्गव	सदस्य	20.01.2016
डॉ0 सौम्या गुर्जर	सदस्य	21.01.2016

आयोग में स्वीकृत पदों का विवरण

क्रं सं.	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	सदस्य सचिव	1	1	–
2	उप सचिव	1	–	1
3	निजी सचिव	1	1	–
4	पंजीयक	1	1	–
5	वरिष्ठ निजी सहायक	1	–	1
6	निजी सहायक	1	1	–
7	आशुलिपिक	1	1	–
8	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II	1	1	–
9	वरिष्ठ लिपिक	2	1	1
10	कनिष्ठ लिपिक	7	7	–
11	सूचना सहायक	1	1	–
12	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	10	10	–
कुल		**28**	**25**	**3**

आयोग की शक्तियाँ

अधिनियम में इन शक्तियों का समायोजन राज्य की जनता, विधायिका व सरकार का महिला अधिकारों के प्रति संवेदनशील विचारधारा का परिचायक है।

राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1999 की विभिन्न धाराओं (10, 11, 12, 13) के अनुसार राज्य महिला आयोग को प्रदत्त शक्तियों का विवरण इस प्रकार है :–

धारा–10 हाजिर कराने और दस्तावेजों को पेश कराने की आयोग की शक्तियाँ–

10(1) :– आयोग को, इस अधिनियम के अधीन किसी भी जाँच के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित विषयों के संबंध में वही शक्तियाँ होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 5) के अधीन किसी वाद के विचारण के दौरान किसी सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात् :–

10(1)(क) :– किसी भी साक्षी को समन करना और हाजिर कराना और उसकी परीक्षा करना;

10(1)(ख) :– किसी भी दस्तावेज के प्रकटीकरण और पेश किये जाने की अपेक्षा करना;

10(1)(ग) :– शपथ–पत्रों पर साक्ष्य लेना;

10(1)(घ) :–किसी भी लोक कार्यालय से किसी भी लोक दस्तावेज या उसकी प्रति की अपेक्षा करना;

10(1)(ङ) :– साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन, समन जारी करना;

10(2) :– आयोग को सिविल न्यायालय समझा जायेगा और जब भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) की धारा 175, धारा 178, धारा 179, धारा 180 या धारा 228 में यथावर्णित कोई भी अपराध आयोग की दृष्टि या उपस्थिति में किया जाता है,

तो आयोग उन तथ्यों को, जिनसे अपराध बनता है और अभियुक्त के कथन को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) या दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 को केन्द्रीय अधिनियम 2) में जैसा उपबंधित है उसके अनुसार अभिलिखित करने के पश्चात् मामले को उसके विचारण की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा और वह मजिस्ट्रेट,जिसे इस प्रकार का कोई भी मामला भेजा गया है, अभियुक्त के विरूद्ध परिवाद की सुनवाई करने के लिए इस प्रकार अग्रसर होगा मानो वह मामला उसे दण्ड प्रक्रिया संहिंता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 2) की धारा 346 के अधीन भेजा गया है।

10(3) :– आयोग के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) की धारा 193 और 228 के अर्थान्तर्गत और धारा 196 के प्रयोजन के लिए न्यायिक कार्यवाही समझी जायेगी और आयोग को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 2) की धारा 195 और अध्याय 26 के समस्त प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जायेगा।

धारा–11:–आयोग के कृत्य

(1) आयोग निम्नलिखित सभी या किन्हीं भी कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात्:–

(i) किसी भी अनुचित व्यवहार की जांच करना, उस पर विनिश्चय करना और उस मामले में की जाने वाली कार्रवाइयों की सरकार को सिफारिश करना

(ii) महिलाओं से संबंधित महत्वपूर्ण विवाद्यकों का या अनुचित व्यवहारों से संबंधित विवाद्यकों का अन्वेषण करना या अन्वेषण करवाना और उनके बारे में किये जाने वाले सुधारात्मक उपायों की सरकार को रिपोर्ट तैयार करना ;

(iii) निम्नलिखित के बारे में राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट या रिपोर्टें प्रस्तुत करना :–

(क) प्रवृत्त विधियों में की ऐसी कमियाँ, अपर्याप्तताएं या खामियाँ जो महिलाओं के समता के संवैधानिक अधिकार और उनके प्रति उचित व्यवहार को प्रभावित करती हैं और ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए उपचारी विधायी उपाय ;

(ख) महिलाओं के संबंध में प्रवृत्त विधियों के कार्यकरण को इस दृष्टि से मोनीटर करना ताकि उन क्षेत्रों की पहचान की जा सके जिनमें विधियों का प्रवर्तन पर्याप्त रूप से प्रभावी नहीं है या दोष रहित नहीं किया जा रहा है और उनमें सुधार लाने के लिए किये जाने वाले कार्यपालक या विधायी उपायों की सिफारिश करना ;

(ग) राज्य लोक सेवाओं और राज्य लोक उपक्रमों में की गयी भर्तियों को मोनीटर करना और ऐसी भर्तियों के मामले में महिलाओं को समान अवसर की गारण्टी देने हेतु अपेक्षित कार्रवाई, यदि कोई हो, करने के लिए राज्य सरकार को रिपोर्ट करने की दृष्टि से ऐसी भर्तियों को शासित करने वाले नियमों और विनियमों की संवीक्षा करना ;

(iv) (क) किसी भी कारागार, पुलिस थाने, हवालातों, उप–जेलों, उद्धार गृहों या अभिरक्षा के ऐसे अन्य स्थानों जहाँ महिलाओं को बंदी के रूप में या अन्यथा रखा जाता है, या राज्य सरकार या उसके किन्हीं भी अभिकरणों जिनमें महिलाओं के उद्धार या

आश्रय के प्रयोजन के लिए सरकार से सहायता प्राप्त कर रहे अभिकरण सम्मिलित हैं, द्वारा चालित महिलाओं के आश्रय स्थल या अन्य इसी प्रकार के स्थानों या किसी भी व्यक्ति द्वारा चालित महिलाओं या लड़कियों के लिए आशयित होस्टलों का और सभी ऐसे अन्य स्थानों का, जिनमें महिलाओं के विरूद्ध किये गये अनुचित व्यवहार का परिवाद किया जाता है, निरीक्षण करना या करवाना और ऐसे स्थानों में महिलाओं और लड़कियों के साथ जैसा व्यवहार किया जाता है उसके बारे में और जाँच करवाना और उपचारी कार्रवाई करने के लिए सरकार को रिपोर्ट करना ;

(ख) ऐसे मामलों में, जिनमें आयोग का यह दृष्टिकोण हो कि किसी भी लोक सेवक ने महिलाओं के हितों का संरक्षण करने के बारे में अपने कर्त्तव्यों का निर्वहण करने के संबंध में अत्यधिक उपेक्षा या उदासीनता बरती है तो वह अनुशासनिक कार्रवाई शुरू करने के लिए संबंधित अनुशासनिक प्राधिकारी को सिफारिश कर सकेगा ;

(v) महिलाओं की दशा में सुधार करने की दृष्टि से अपनाये और लागू किये जाने वाले कल्याणकारी उपायों की सरकार को सिफारिश करना ;

(vi) महिलाओं के लिए समान अवसर प्राप्त करने के लिए व्यापक और सकारात्मक स्कीम बनाना और ऐसी स्कीमों को लागू करने के लिए कार्यक्रम सुझाना जो राज्य सरकार के अनुमोदनार्थ अग्रेषित किये जायेंगे और उसका अनुमोदन अभिप्राप्त हो जाने पर उपान्तरणों सहित या उनके बिना उसे लागू करेगा या लागू करवायेगा ;

(vii) महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराधों के संबंध में किसी भी ऐसे कानून के अधीन अभियोजन की कार्यवाही के लिए समुचित प्राधिकारी को सिफारिश करना, जिसमें ऐसे कानून के अपबंधों के अतिक्रमण के लिए शास्ति का उपबंध किया गया हो ;

(viii) महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक दशा के संबंध में तुलनात्मक अद्यतन सहित, आंकडों का व्यापक अधिकोष संधारित करना समय–समय पर उन्हें अध्यनत करना, महिलाओं के अधिकारों के समर्थन की कार्रवाइयों में उपयोग के लिए ऐसे आंकडों को उपलब्ध करना;

(ix) उत्तराधिकार, संरक्षकता, दत्तक ग्रहण और विवाह–विच्छेद के मामलों में विभेद को दूर करने के लिए, या महिलाओं की गरिमा और मातृत्व के मान को सुरक्षित रखने से संबंधित मामलों के लिए सरकार को विधायन शुरू करने के लिए सिफारिश करना ;

(x) महिलाओं के प्रति हुए विभेद और अत्याचारों से उद्भूत होने वाली विनिर्दिष्ट समस्याओं या स्थितियों का विशेष अध्ययन अन्वेषण कराये जाने की अपेक्षा करना और बाधाओं का पता इस दृष्टि से लगाना जिससे कि उन्हें दूर करने की युक्तियों की सिफारिश की जा सके ;

(xi) महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए योजना प्रक्रिया के बारे में सलाह देना ;

(xii) महिलाओं के किसी बड़े निकाय को प्रभावित करने वाले विवाद्यकों को अन्तर्वलित करने वाले वादकरण के लिए निधि उपलब्ध कराना ;

(xiii) महिलाओं से संबंधित किसी भी विषय के संबंध में, और विशिष्टतया उन विभिन्न कठिनाइयों के बारे में जिनमें महिलाओं को कठिन परिश्रम करना होता है, राज्य सरकार को सावधि रिपोर्ट प्रस्तुत करना ;

(xiv) संवर्धन और शिक्षा संबधी अनुसंधान का जिम्मा लेना जिससे महिलाओं का सभी क्षेत्रों में सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किये जाने के उपाय सुझाये जा सकें और उनकी उन्नति में अड़चन डालने के लिए उत्तरदायी कारणों का, जैसे आवासन और बुनियादी सेवाओं की सुलभता में कमी, कड़ी मेहनत और उपजीविकाजन्य स्वास्थ्य

परिसंकटों को कम करने और उनकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सहाय्य सेवाओं और प्रौद्योगिकी की अपर्याप्तता को परिलक्षित करना ;

(xv) महिलाओं से संबंधित मामलों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना ;

(xvi) अन्य कोई मामला, जो उस सरकार, आम जनता, प्रेस द्वारा निर्दिष्ट किया जाये या किन्हीं ऐसे अधिकारों के अतिलंघन का स्वप्रेरणा से संज्ञान लेना जिन्हें आयोग महिलाओं के हितों के लिए अपायकर समझे।

धारा–12. अनुचित व्यवहारों की जांच करना– (1) आयोगः–

(क) किसी भी महिला से यह अभिकथित करते हुऐ कि उसके साथ कोई अनुचित व्यवहार किया गया है, कोई लिखित परिवाद या किसी भी रजिस्ट्रीकृत महिला संगठन से वैसा ही परिवाद प्राप्त होने पर ;

(ख) अपनी स्वयं की जानकारी या सूचना पर ;

(ग) सरकार से किसी भी निवेदन पर ;

(घ) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे अनुचित व्यवहार की व्यक्तिगत जानकारी हो, किये गये परिवाद पर;

किसी भी अनुचित व्यवहार की जांच कर सकेगा।

(2) जहां परिवाद उप–धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन किया गया है वहां आयोग उस व्यक्ति को, जिसके विरूद्ध परिवाद किया गया है, कोई भी आदेशिका जारी करने से पूर्व स्वयं का यह समाधान करने के प्रयोजन के लिए कि परिवाद की जांच करनी आवश्यक है, ऐसी रीति से, जो वह उचित समझे, प्रारंभिक अन्वेषण करवा सकेगा।

(3) (i) जहां वह व्यक्ति, जिसके विरूद्ध परिवाद किया गया है, उपसंजात होता है और आयोग को हेतुक दर्शाता है और उसका समाधान कर देता है तो उस पर किसी भी कार्यवाही के शुरू किये जाने के लिए कोई और कार्रवाई नहीं की जायेगी ;

(ii) जहां वह व्यक्ति, जिसके विरूद्ध परिवाद किया गया है, उपसंजात होता है और आयोग का समाधान करने में असफल रहता है या जहां वह तत्प्रयोजनार्थ नियत दिन को उपसंजात होने में असफल रहता हैं वहां आयोग परिवाद में अभिकथित मामले की जांच करने की कार्यवाही कर सकेगा और यदि आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि मामले कोई अनुचित व्यवहार किया गया है या मामले मे कार्यवाही किये जाने का कोई विशेष आधार प्रतीत होता है वहां

आयोग राज्य—सरकार को उस मामले में कार्रवाई और अभियोजन प्रारंभ करने की सिफारिश करेगा।

(4) राज्य सरकार, उप—धारा (3) के अधीन आयोग की सिफारिशों की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के भीतर—भीतर उन पर विनिश्चय करेगी और आयोग को उसकी सूचना देगी।

धारा—13. अभियोजन का प्रारंभः—

यदि धारा 12 के अधीन किसी परिवाद के अन्वेषण के पश्चात् आयोग का यह समाधान हो जाता है कि किसी व्यक्ति ने कोई दाण्डिक अपराध किया है और ऐसा व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए न्यायालय द्वारा अभियोजित किया जाना चाहिए तो वह इस आशय का आदेश पारित कर सकेगा और संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध, अभियोजन प्रारम्भ कर सकेगा यदि पूर्व मंजूरी की आवश्यकता नहीं हो, और यदि ऐसे अभियोजन के लिए किसी प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी अपेक्षित हो तो उस प्राधिकारी से ऐसी मंजूरी प्राप्त की जायेगी।

राज्य सरकार द्वारा आयोग से परामर्श किया जानाः—

अधिनियम की धारा 16 के अनुसार राज्य सरकार महिलाओं को प्रभावित करने वाले प्रमुख नीतिगत विषयों के सम्बन्ध में आयोग से समय—समय पर परामर्श करेगी।

अध्याय 2
आयोग का कार्यक्षेत्र

राज्य महिला आयोग राज्य में महिलाओं पर हिंसा, अत्याचार, दुराचार, असमानता इत्यादि के सम्बन्ध में प्राप्त सभी शिकायतों पर कार्यवाही करता है, चाहे वह शिकायत लिखित रूप में (डाक द्वारा, फैक्स, ई–मेल या वेब–साइट द्वारा) प्राप्त हुई हो, मौखिक रूप में हो अथवा अन्य किसी आधार पर आयोग द्वारा प्रसंज्ञान लिया लिया जाता है। लिखित रूप में की जाने वाली शिकायत महिला आयोग को सम्बोधित होनी आवश्यक है।

आयोग में महिला उत्पीड़न के विभिन्न मामले जैसे :– उत्पीड़न व दहेज उत्पीड़न, दहेज हत्या, घरेलू हिंसा, छेड़छाड़, बलात्कार, यौन शोषण, कार्यस्थल पर उत्पीड़न, डायन बताया जाना, रोजगार में भेदभाव, जमीन–जायदाद में हिस्सा न देना, उत्तराधिकार, द्विविवाह, पति द्वारा अभित्यजन, सम्बन्धियों द्वारा यौन शोषण आदि से सम्बन्धित शिकायतें दर्ज की जाती हैं। शिकायतों के निवारण के प्रयासों के अतिरिक्त आयोग द्वारा महिला सशक्तीकरण हेतु जागरूकता अभियान, जनसुनवाई, कार्यशालाएँ परिचर्चा, संगोष्ठियाँ तथा सेमीनारों का आयोजन किया जाता है। आवश्यकतानुसार शिकायतों की जॉच हेतु जॉच समितियों का गठन भी समय–समय पर किया जाता रहा है।

(1) जैण्डर प्रकोष्ठ :–

यह प्रकोष्ठ महिला आयोग के लिए महत्वपूर्ण इकाई के रूप में कार्य करता है। राजस्थान राज्य में जैण्डर समानता, सामाजिक समानता व महिला सशक्तीकरण के उद्‌देश्य से राज्य स्तर पर पैरवी हेतु राजस्थान राज्य महिला आयोग में अपने स्तर पर इस प्रकोष्ठ का (जैण्डर प्रकोष्ठ) का संचालन किया जाता रहा है। इस इकाई के माध्यम से राज्य महिला आयोग द्वारा लैंगिक समानता अधिकार के साथ सामाजिक समानता एवं महिला सशक्तीकरण के मुद्‌दों पर कार्य किये गये। जिसके अन्तर्गत महिला सशक्तीकरण एवं आमुखीकरण से सम्बन्धित कार्यशालाएँ, महिला जनसुनवाई, आदि कार्य प्रमुख है। समता व समानतापूर्ण समाज का सपना साकार करने के लिए महिलाओं को जागरूक बनाने की दिशा में विशेष महत्त्व है। इसी उद्देश्य से आयोग द्वारा समय–समय पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

(2) शिकायत प्रकोष्ठ

कोई भी महिला या उसके रिश्तेदार राजस्थान राज्य महिला आयोग में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। शिकायतें डाक द्वारा, फैक्स द्वारा, ई–मेल या वेब–साइट द्वारा हेल्पलाइन पर फोन करके अथवा व्यक्तिशः स्वयं आयोग में उपस्थित होकर लिखित अथवा मौखिक रूप से शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। आयोग प्रशासन द्वारा उक्त प्राप्त शिकायतों के समाधान हेतु उचित स्तर पर समुचित कार्यवाही की जाकर पीड़िता को त्वरित न्याय दिलवाने हेतु उचित प्रयास किये जाते हैं।

स्वयं आयोग द्वारा प्रसंज्ञान लेकर दर्ज की गई शिकायतें जिनके निस्तारण में पुलिस प्रशासन, राज्य सरकार के विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों या अन्य संस्थाओं के सहयोग की भूमिका होती है, उन पर आयोग द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाती हैं। प्रकरणों की प्रकृति के अनुसार आयोग द्वारा पत्र व्यवहार कर संबंधित विभाग के अधिकारी को समस्या के शीघ्र समाधान के लिए निर्देशित किया जाता है। आयोग द्वारा ऐसे प्रकरणों पर उनके निस्तारण होने तक नियमित निगरानी की जाती है और त्वरित गति से पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को सक्रिय किया जाता है।

आयोग में प्राप्त शिकायतों में निम्न प्रकार से कार्यवाही की जाती है :–

- पारिवारिक मामलों में संबंधित सभी पक्षों को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सम्मन जारी किये जाते हैं।
- पुलिस द्वारा किये जा रहे जांच कार्य को गति प्रदान करवाना। यदि थाने द्वारा शिकायत दर्ज नहीं की जा रही हो तो दर्ज करवाना।
- विभिन्न अधिकारियों द्वारा महिला उत्पीड़न सम्बन्धी मामलों में की जाने वाली कार्यवाही को निश्चित अवधि में सुनिश्चित करवाना।

(3) व्यक्तिगत सुनवाई

राज्य महिला आयोग का यह महत्वपूर्ण प्रकोष्ठ है इसके माध्यम से कई टूटे हुए परिवारों को पुनः बसाया जाता है। इस प्रकोष्ठ द्वारा वैवाहिक जीवन व पारिवारिक समस्याओं के बारे में प्राप्त शिकायतों पर दोनों पक्षकारों को सम्मन जारी कर व्यक्तिगत सुनवाई बाबत् आयोग में तलब किया जाता है और नियत पेशी के दिन आयोग की पूर्ण पीठ द्वारा दोनों पक्षकारों की सुनवाई व समझाइश की जाती है

और कई मामलों में पति–पत्नी में समझौता करवाकर आयोग से ही उन्हें साथ रहने के लिए भेज दिया जाता है। पीड़ित महिलाओ को इस प्रकोष्ठ के माध्यम से त्वरित न्याय दिलाया जाता है। इस प्रकोष्ठ के द्वारा घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना, द्विविवाह संबंधी मामलों का भी दोनों पक्षकारों की आपसी समझाइश के माध्यम से समाधान किया जाता है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मामलों की सुनवाई की कार्रवाई आयोग द्वारा की जाती है।

ऐसे मामलों में, जिनमें आयोग उचित समझता है, शिकायत से संबंधित पक्षकारों को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग में बुलाया जाता है तथा पक्षकारों को राहत प्रदान करने के लिए उचित कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है। आयोग में पक्षकारों द्वारा शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित सभी पक्षों को बुलाकर आपसी बातचीत व समझाइश द्वारा समाधान करवाने का प्रयास किया जाता है। पहले से दर्ज मामलों में व्यक्तिगत सुनवाई हेतु पेशी की तारीखें निर्धारित की जाती हैं।

(4) जनसुनवाई

(अ) उद्देश्य :–

राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम की धारा 15 खण्ड (i) के अनुसार महिलाओं से सम्बन्धित मामलों में उनकी पीड़ा सुनकर उसका निदान करवाना आयोग का एक प्रमुख कार्य है। ऐसी उत्पीड़ित महिलाऐं जिनको महिला आयोग के बारे में जानकारी नहीं है या वह आयोग तक पहुंच नहीं पाती हैं तो आयोग जिला मुख्यालय पर जाकर उन महिलाओं की स्थानीय जिला प्रशासन के साथ महिला सुनवाई आयोजित करता है और यथा–सम्भव जिला स्तर पर उत्पीड़ित महिलाओं को तुरंत राहत दिलवाता है।

इस क्रम में महिलाओं को त्वरित न्याय दिलवाने व महिलाओं के साथ हो रहे विभिन्न प्रकार के सामाजिक अन्याय की वास्तविक स्थिति की जानकारी लेने की दृष्टि से आयोग द्वारा विभिन्न स्थानों पर जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है।

राजस्थान राज्य महिला आयोग महिलाओं के उत्पीड़न, शोषण व अत्याचार जैसे मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए आयोग में प्राप्त समस्याओं और शिकायतों के निराकरण हेतु समय–समय पर जनसुनवाइयों का आयोजन कर महिलाओं को न्याय दिलाने व उन्हें संबल प्रदान करने का कार्य करता है।

जन–सुनवाई कार्यक्रम के आयोजन में मुख्य रूप से राज्य महिला आयोग, जिला प्रशासन, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा सम्बन्धित स्थल पर कार्यरत स्वयंसेवी संगठन की भागीदारी रहती है। जिला स्तर पर जन–सुनवाई आयोजन का मुख्य उद्देश्य उन महिलाओं को न्याय व राहत दिलवाना है, जो पीड़ित हैं तथा आयोग के जयपुर स्थित कार्यालय पहुंचने में असमर्थ हैं।

(ब) कार्यक्रम की प्रक्रिया

जिस स्थान पर जन–सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, उस जिले के महिला एवं बाल विकास विभाग तथा जिला प्रशासन द्वारा जनसुनवाई के बारे में व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाता है तथा जनसुनवाई वाले दिन पीड़ित महिलाओं का पंजीयन किया जाता है। पीड़िता को भी व्यक्तिगत रूप से बुलाकर उसकी समस्या सुनी जाती है तथा मौके पर ही उचित कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को तत्काल उचित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

अध्याय – 3
आयोग में वर्ष 2015–16 में प्राप्त शिकायतों का विवरण

वर्ष 2015–2016 में आयोग का विभिन्न प्रकृति की शिकायतें व्यक्तिगत व जनसुनवाई में एवं डाक द्वारा प्राप्त हुई जिनमें दहेज क्रूरता, दहेज हत्या, भरण–पोषण, हत्या, हत्या का प्रयास, बलात्कार, बलात्कार का प्रयास, अपहरण, यौन उत्पीड़न, भूमि विवाद व घरेलू हिंसा की शिकायतें प्राप्त हुई। आयोग में दर्ज शिकायतों के आंकड़ें निम्न प्रकार हैं।

दिनांक 01 अप्रेल, 2015 से 31 मार्च, 2016 तक आयोग में प्राप्त प्रकरणों की स्थिति

कुल प्राप्त प्रकरण	निस्तारित	प्रक्रियाधीन	
4325	1175	3150	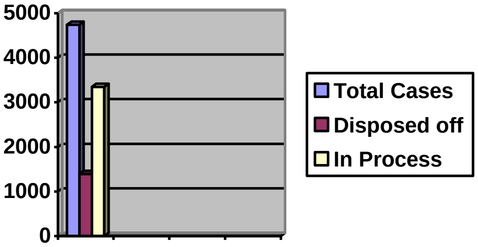

आंकड़ों के विवरण का पृष्ठ पृथक से संलग्न है।

अध्याय – 4

आयोग का वित्तीय स्वरूप

राजस्थान राज्य महिला आयोग को राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष अनुदान राशि उपलब्ध करवाई जाती है। 01.04.2015 से 31.03.2016 तक में आयोग द्वारा प्राप्त की गई एवं व्यय की गई राशि का विवरण निम्नांकित है।

Income & Expenditure Statement
for the period 01.04.2015 to 31.03.2016

S.No.	Income	Amount	Expenditure	Amount
1.	**Opening Balance**	34,14,714.05		
	(i) NCW - 11,795.00		1.Commission Expenditure	1,34, 23, 333.00
	(ii)Unicef- 8,547.00			37,409.00
	(iii) N.R.H.M. 2,19,243.00		2. NRHM	
	2,39,585			
	(iv) Commission :-			
	P.D.A/cNo.3926- 11,5,0040.00			
	P.D.A/c No.3991 - 38,67,032.00			
	Cash at Bank 11,14,506.05			
	Cash in Hand 735.00			
	61,32,313.05			
2.	**Receipt**			
	From State Government	1,25,00,000.00	3. **Closing Balance**	
	From State Government for Helpline	62,70,000.00		11,75,7182.05
			(i)Unicef 8,547.00	
			(ii) NRHM 18,18,34.00	
			(iii) NCW 11,795.00	
			(iv) Helpline 62,70,000	
			64,72,176.00	
			(iv) Commission :-	
			P.D.A/c No.3926- 9,82,693.00	
			P.D.A/c No.3991- 30,49,349.00	
			Cash at Bank 12,47,302.05	
			Cash in Hand 5,662.00	
			52,85,006.05	
3.	Bank interest on SB A/c	25,808.00		
4.	Nakal Charges	1,754.00		
5.	Vehicle Rent	3,379.00		
6.	Int. on PD A/c	45,085.00		
	Total	**2,52,17,924.05**	**Total**	**2,52,17,924.05**

अध्याय–5

सफल प्रकरण (2015–16)

<u>महिला बैंक कर्मी को उत्पीडन से राहत दिलवाकर खोई हुई नौकरी पुनः दिलवाई गई।</u>

श्रीमती विमला चौधरी (परिवर्तित नाम) निवासी जिला सीकर ने आयोग कार्यालय में दिनांक 09.02.2016 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि श्रीमती विमला आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, वैशाली नगर, जयपुर में (बीबीएम) कार्यरत थी। श्रीमती चौधरी ने बताया कि उक्त कार्य के सम्पादन पर वेतन के अतिरिक्त उन्हें प्रोत्साहन राशि (इन्सेन्टिव) का भुगतान भी बैंक द्वारा किया जाता है। उक्त कार्य हेतु पूर्व में श्री राजेश पदस्थापित थे। श्रीमती विमला की नियुक्ति के पश्चात् उक्त राशि राजेश को नहीं मिलने के कारण श्री राजेश श्रीमती विमला से द्वेषता रखने लगें तथा कार्यस्थल पर श्रीमती विमला को परेशान करने लगें, अश्लील भाषा का प्रयोग करने लगे, तथा शारीरिक उत्पीड़न का प्रयास करने लगे। उक्त ज्यादती की शिकायत श्रीमती विमला द्वारा बैंक के उच्च अधिकारियों को की गई, लेकिन बैंक के उच्च अधिकारियों ने श्रीमती विमला की शिकायत पर न्यायोचित कार्यवाही नहीं की उनका स्थानान्तरण वैशाली नगर जयपुर से दूसरी जगह कर दिया गया। दूसरी शाखा के साथी कार्मिकों द्वारा भी श्रीमती विमला के साथ असहयोग किया गया। श्रीमती विमला ऐसी परिस्थितियों से काफी परेशान तथा हताश हो गई। इसके पश्चात् बैंक अधिकारियों द्वारा श्रीमती विमला से जबरन त्याग–पत्र ले लिया गया।

श्रीमती विमला के प्रकरण को आयोग द्वारा गंभीरता से लिया जाकर दिनांक 10.02.2106 को जोनल प्रमुख आई.सी.आई.सी.आई. बैंक को पत्र लिखकर निर्देशित किया कि कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के तहत आन्तरिक शिकायत समिति का गठन कर प्रकरण को जांच कमेटी में रखवाकर प्रकरण की जांच करवाई जावे। इसके साथ ही पुलिस उपायुक्त, जयपुर शहर, दक्षिण को भी पत्र दिनांक 10.02.2016 प्रेषित कर इस संबंध में दर्ज एफआईआर दिनांक 08.02.2016 पर कार्यवाही करने हेतु लिखा गया।

आई.सी.आई.सी.आई. बैंक द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 09.03.2016 के अनुसार श्रीमती विमला चौधरी के प्रकरण की जांच कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के तहत गठित आंतरिक शिकायत समिति से करवाई गई। जांच पश्चात् कार्यवाही करते हुये बैंक द्वारा आयोग को सूचित किया गया कि श्रीमती विमला चौधरी को बैंक की सेवा में लगातार कार्यरत है।

इस प्रकार राजस्थान राज्य महिला आयोग के न्यायोचित हस्तक्षेप से एक महिला बैंक कर्मी को उत्पीड़न से राहत दिलवाई गई तथा बैंक सेवा से जबरन त्याग–पत्र लिये जाने के पश्चात् भी उसे पुनः बैंक सेवा में सेवा दिलवाकर सेवा नियमित करवाई गई है।

नोट : उक्त सभी नाम काल्पनिक है।

अध्याय–6

महिला हेल्पलाइन

वर्ष 2012–13 की बजट घोषणा में माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार द्वारा महिला हेल्पलाइन की घोषणा की गई थी, जिसकी अनुपालना में अगस्त 2012 से महिला आयोग में हेल्पलाइन का संचालन किया जा रहा है।

वित्त विभाग से पूर्व में प्राप्त वित्तीय स्वीकृति के अनुसार प्रतिदिन 24 घन्टे चलने वाली इस महिला हेल्पलाइन में चार परामर्शदाता (प्लेसमेन्ट एजेन्सी के माध्यम से) कार्यरत है। आयोग द्वारा उनकी योग्यता एम.एस. डब्ल्यू, विधि स्नातक, समाज शास्त्र/मनोविज्ञान/मानवशास्त्र में स्नातकोत्तर निर्धारित की गयी तथा साथ ही 5 वर्ष का अनुभव भी वांछित है।

उक्त हेल्पलाइन में पीड़ित महिलाओं के सहायता हेतु निम्न प्रकार से टेलीफोन कार्यरत हैं :–

- टेलीफोन नम्बर (टोल फ्री) –1091

दिनांक 01 अप्रेल, 2015 से 31 मार्च, 2016 तक प्राप्त प्रकरणों का विवरण

Reg. Total Cases	In Process	Disposed Off
537	0	537

महिला हेल्पलाइन द्वारा निस्तारित सफल प्रकरणों का विवरण

आयोग (01.04.2015 से 31.03.2016 तक) में प्राप्त आवेदनों पर दोनों पक्षों के बीच समझाइश कर कई प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इनमें से कुछ सफल प्रकरण निम्नानुसार हैः–

प्रकरण संख्या–1

दिनांक 22.03.2016 को मेघा ने हेल्पलाइन पर फोन करके बताया कि मंयक नामक लड़का इनकी रिश्तेदारी में है और इससे शादी करना चाहता है किन्तु यह अच्छा लड़का नहीं है इसलिए मेघा इससे शादी नहीं करना चाहती किन्तु मंयक दवाब बना रहा है। इसके लिए मेघा ने आयोग से हेल्प मांगी तो आयोग हेल्पलाइन द्वारा लड़के की समझाइश की गई और लड़के को पाबन्द किया तो उसने लड़की को परेशान करना छोड़ दिया।

प्रकरण संख्या–2

दिनांक 17.02.2015 को श्रीमती शीतल निवासी विघाधर नगर जयपुर ने हेल्पलाइन पर फोन करके बताया कि उसकी शादी को दो महीने हुये हैं और दिल्ली में उसका पीहर है। ससुराल वाले उसे घर में कैद करके रखते हैं लड़का (पति) मानसिक रोगी है और वह बहुत गंदी हरकतें करता है और क्रूर स्वभाव का है। पीहर वाले समाज के डर से नहीं बोलते, जबकि महिला और नहीं सह पा रही और यहां से निकलना चाहती है। तब हेल्पलाइन द्वारा विघाधर नगर के एस.एच.ओ. सुरेन्द्र सिंह को फोन करके सारे प्रकरण से अवगत कराकर महिला को तुरन्त सहायता पहुंचाने के लिए कहा गया। विघाधर नगर थाना के ए.एस.आई. श्री दुर्गाप्रसाद वहां गये और महिला की वास्तिक स्थिति की जानकारी प्राप्त की, तत्पश्चात् ए.एस.आई. श्री दुर्गाप्रसाद ने उसके पापा को भी दिल्ली से बुलवाया तथा हेल्पलाइन पर बताया कि लड़के में 20 प्रतिशत दिमाग है और उसने लड़की की बहुत दुर्गति कर रखी है और मानवता की सारी हदें पार कर रखी थी। ए.एस.आई. द्वारा वाछित कार्यवाही की जाकर महिला को मुक्त कराया गया। इस प्रकार आयोग के प्रयासों द्वारा पीड़ित महिला को उत्पीड़न से राहत दिलवाई जाकर उसके जीवन को सामान्य बनाने का प्रयास किया गया।

प्रकरण संख्या–3

दिनांक 16.04.2016 को महिला आयोग हेल्पलाइन पर किसी अनजान व्यक्ति ने फोन करके बताया कि डूंगरपुर गांव में बाल–विवाह हो रहा है। जबकि यह लड़की अभी पढ़ना चाहती है। अतः आप इसकी मदद करो।

तब हेल्पलाइन द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम और संबंधित थाने पर फोन करके उचित कार्यवाही करने को कहा गया। फिर थाने वालों ने लड़की के माता–पिता को हिरासत में लेकर पाबन्द किया और विवाह रूकवाया।

अध्याय–7

कार्यशाला आयोजन

राजस्थान की महिलाओं के सशक्तीकरण तथा महिलाओं की गरिमा को सुरक्षित बनाये रखने हेतु राजस्थान राज्य महिला आयोग द्वारा महिला सशक्तीकरण के लिए विचार–विमर्श करने हेतु दिनांक 28.01.2016 को आयोग कार्यालय में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में निम्नांकित मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया।

1. महिला सुरक्षा एवं उनके लिये भयमुक्त वातावरण का निर्माण।
2. कार्यस्थल पर काम–काजी महिलाओं के साथ यौन–शोषण की रोकथाम।
3. थानों में महिला डेस्क का सुदृढ़ीकरण।

कार्यशाला में विचार–विमर्श के दौरान श्रीमती सुमन शर्मा, माननीय अध्यक्ष, ने बताया कि राज्य महिला आयोग द्वारा संचालित हेल्पलाइन में पीड़ित महिलाओं की शिकायत को रिकॉर्ड करने लिए ऑटोमेटिक वाइस रिकार्डर लगवाया जायेगा। साथ ही उन्होने यह भी कहा कि महिला आयोग द्वारा शीघ्र ही एक मोबाइल एप भी लॉंच की जायेगी। माननीय अध्यक्ष ने यह भी कहा कि राज्य में स्थापित महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्रों की मोनेटरिंग संबंधित जिला कलक्टर द्वारा की जानी चाहिए। पीड़िता द्वारा 164 में दिए गए बयानों की भी वीडियो रिकॉर्डिंग का प्रावधान किए जाने को आवश्यक बताया गया। माननीय अध्यक्ष ने सभी जिलों में अल्पावास गृह स्थापित करने पर भी जोर दिया।

अध्याय–8

प्रसंज्ञान एवं जांच

(अ) आयोग में सीधे आने वाले केसेज़ के अलावा मीडिया (प्रिंट व इलेक्ट्रोनिक) द्वारा प्रकाशित/प्रसारित मामलों में भी आयोग द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया है। वर्ष 2015–16 में कुल 96 प्रकरणों आयोग द्वारा स्वप्रसंज्ञान लिया जाकर पीडिताओं को त्वरित राहत दिलवाने हेतु संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखे गये।

(अवधि 01.04.2015 से 31.03.2016)

क्रं.	दिनांक	घटना का विवरण	समाचार पत्र का विवरण	आयोग द्वारा की गई कार्रवाई
1	27.11.2015	''खुद जाकर उस लडके का सामना करो''	राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित समाचार दिनांक 27.11.2015	प्रसंज्ञान लिया गया। निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग, जयपुर को पत्रांक रामआ/प्रसंज्ञान–1/2015/6081 दिनांक 27.11.2015 प्रेषित
2	03.12.2015	''कोचिंग छात्र ने फंदा लगा की खुदखुशी''	राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित समाचार दिनांक 03.12.2015	प्रसंज्ञान लिया गया। निदेशक, ऐलन कैरियर कोंचिग सेन्टर, लेण्ड मार्क सिटी, बून्दी रोड, कोटा को पत्रांक पेपर कंटिग/रामआ/2015/6307 दिनांक 07.12.2015 प्रेषित
3	03.12.2015	''सूरतगढ सीआई पर अश्लील मैसेज भेजने का आरोप''	दैनिक भास्कर में प्रकाशित समाचार दिनांक 03.12.2015	प्रसंज्ञान लिया गया। जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ को पत्रांक रामआ/प्रसंज्ञान–2/2015/6305 दिनांक 07.12.2015 प्रेषित
4	03.12.2015	''कोचिंग छात्र ने फंदा लगा की खुदखुशी''	राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित समाचार दिनांक 03.12.2015	प्रसंज्ञान लिया गया। जिला पुलिस अधीक्षक, कोटा शहर, कोटा को पत्रांक पेपर कंटिग/रामआ/2016/7177 दिनांक 12.01.2016 प्रेषित

5	04.12.2015	''ब्यावर प्रकरण रिहाई के बाद आईजी के पास इंसाफ के लिए पहुंची सातों युवतियां, सदर थानाप्रभारी लाइन हाजिर''	राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित समाचार दिनांक 04.12.2015	प्रसंज्ञान लिया गया। पुलिस महानिरीक्षक, अजमेर रेंज, अजमेर को पत्रांक पेपर कंटिग/रामआ/2015/6306 दिनांक 07.12.2015 प्रेषित
6	01.01.2016	''गैंगरेप के बाद छात्रा की हत्या''	राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित समाचार दिनांक 01.01.2016	प्रसंज्ञान लिया गया। जिला पुलिस अधीक्षक, धौलपुर को पत्रांक रामआ/प्रसंज्ञान–8/2016/8224 दिनांक 04.02.2016 प्रेषित
7	22.01.2016	''शादी का झासा दे किया यौन शोषण''	राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित समाचार दिनांक 22.01.2016	प्रसंज्ञान लिया गया। पुलिस आयुक्त जोधपुर को पत्रांक पेपर कंटिग/रामआ/2016/7585 दिनांक 22.01.2016 प्रेषित
8	28.01.2016	''स्कूल बस रूकवाकर छात्रा से छेडछाड''	दैनिक भास्कर में प्रकाशित समाचार दिनांक 03.12.2015	प्रसंज्ञान लिया गया। जिला पुलिस अधीक्षक, बाडमेर को पत्रांक रामआ/प्रसंज्ञान–11/2016/8229 दिनांक 04.02.2016 प्रेषित
9	28.01.2016	''घर में घुसकर महिला जेईएन से अभद्रता''	राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित समाचार दिनांक 28.01.2016	प्रसंज्ञान लिया गया। पुलिस उपायुक्त, जयपुर शहर पश्चिम जयपुर को पत्रांक रामआ/प्रसंज्ञान–6/2016/8228 दिनांक 07.02.2016 प्रेषित
10	29.01.2016	''विवाहिता से दुष्कर्म''	दैनिक भास्कर में प्रकाशित समाचार दिनांक 03.12.2015	प्रसंज्ञान लिया गया। पुलिस उपायुक्त, जयपुर शहर पूर्व जयपुर को पत्रांक रामआ/प्रसंज्ञान–4/2016/8030 दिनांक 29.01.2016 प्रेषित
11	01.02.2016	''ट्यूशन के बहाने मासूम से छेडछाड''	राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित समाचार दिनांक 01.02.2016	प्रसंज्ञान लिया गया। पुलिस उपायुक्त, जयपुर शहर उत्तर जयपुर को पत्रांक रामआ/प्रसंज्ञान–7/2016/8223 दिनांक 04.02.2016 प्रेषित

12	02.02.2016	''विधवा से हुआ गैंगरेप, इलाज के दौरान अस्पताल में हुई मौत''	दैनिक भास्कर में प्रकाशित समाचार दिनांक 03.12.2015	प्रसंज्ञान लिया गया। जिला पुलिस अधीक्षक, बांसवाडा को पत्रांक रामआ/प्रसंज्ञान–11/2016/8226 दिनांक 04.02.2016 प्रेषित
13	02.02.2016	''धमकाकर नाबालिक से किया कुकर्म''	दैनिक नवज्योति में प्रकाशित समाचार दिनांक 02.02.2016	प्रसंज्ञान लिया गया। पुलिस उपायुक्त, जयपुर शहर उत्तर जयपुर को पत्रांक रामआ/प्रसंज्ञान–10/2016/8222 दिनांक 04.02.2016 प्रेषित
14	02.02.2016	''पुलिस वाला होकर दुष्कर्म का प्रयास किया''	राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित समाचार दिनांक 28.01.2016	प्रसंज्ञान लिया गया। जिला पुलिस अधीक्षक, कोटा को पत्रांक रामआ/प्रसंज्ञान–9/2016/8225 दिनांक 04.02.2016 प्रेषित
15	08.02.2016	''डॉक्टर नर्स के अश्लील फोटो वायरल हुए''	प्रकाशित समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार दिनांक 08.02. 2016	प्रसंज्ञान लिया गया। जिला कलक्टर झालावाड को पत्रांक रामआ/प्रसंज्ञान–12/2016/8587 दिनांक 08.02.2016 प्रेषित
16	18.02.2016	''कोटा जिला में प्रकाशित समाचार पत्र के झालावाड डॉ0 नर्स के अश्लील फोटो वायरल हुये''		प्रसंज्ञान लिया गया। जिला कलक्टर झालावाड को पत्रांक रामआ/प्रसंज्ञान–12/2016/8587 दिनांक 18.02.2015 प्रेषित
17	09.03.2016	''महिला आयोग की रिपोर्ट का इंतजार पुलिस ने कहां नहीं मांगी रिपोर्ट''	दैनिक भास्कर में प्रकाशित समाचार दिनांक 09.03.2016	प्रसंज्ञान लिया गया। जिला पुलिस अधीक्षक, डूंगरपुर को पत्रांक पेपर कंटिग/रामआ/2016/9199 दिनांक 11.03.2016 प्रेषित
18	16.03.2016	''ट्रेन के डिब्बे में बच्ची से दुष्कर्म''	दैनिक नवज्योति में प्रकाशित समाचार दिनांक 02.02.2016	प्रसंज्ञान लिया गया। जिला पुलिस अधीक्षक जीआरपी, अजमेर को पत्रांक पेपर कंटिग/रामआ/2016/9378 दिनांक 16.03.2016 प्रेषित
19	25.03.2016	''मेहन्दीपुर बालाजी में पुलिस द्वारा महिलाओं से अभद्र व्यवहार करने की घटना''	राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित समाचार दिनांक 27.11.2015	प्रसंज्ञान लिया गया। जिला पुलिस अधीक्षक, दौसा को पत्रांक पेपर कंटिग/रामआ/2016/9466 दिनांक 28.03.2016 प्रेषित

20	26.03.2016	''मासूम से दुष्कर्म आरोपित गिरफतार''	राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित समाचार दिनांक 26.03.2016	प्रसंज्ञान लिया गया। जिला पुलिस अधीक्षक, अलवर को पत्रांक पेपर कंटिग / रामआ / 2016 / 9460 दिनांक 28.03.2016 प्रेषित
21	04.04.2016	''देहशोषण के आरोपित की धरपकड के लिए छापे''	दैनिक भास्कर में प्रकाशित समाचार दिनांक 03.12.2015	प्रसंज्ञान लिया गया। पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर को पत्रांक रामआ / प्रसंज्ञान–12 / 2016 / 113 दिनांक 04.04.2016 प्रेषित
22	04.04.2016	''सदन में गूजा दलित छात्रा से दुष्कर्म''	राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित समाचार दिनांक 04.04.2016	प्रसंज्ञान लिया गया। पुलिस अधीक्षक, बीकानेर को पत्रांक रामआ / प्रसंज्ञान–12 / 2016 / 112 दिनांक 04.04.2016 प्रेषित
23	07.04.2016	''गारमेंट दुकान के ट्रायल रूम में कैमरा, हंगामा''	राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित समाचार दिनांक 28.01.2016	प्रसंज्ञान लिया गया। पुलिस आयुक्त, जयुपर को पत्रांक रामआ / प्रसंज्ञान– / 2016 / 291 दिनांक 07.04.2016 प्रेषित
24	07.04.2016	''छात्रा ने की आत्महत्या''	राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित समाचार दिनांक 07.04.2016	प्रसंज्ञान लिया गया। संस्थापक , वनस्थली विद्यापीठ निवाई, टोंक को पत्रांक रामआ / प्रसंज्ञान– / 2016 / 312 दिनांक 07.04.2016 प्रेषित
25	18.04.2016	''चितौडगढ जिले में नाबालिक बालिकाओं के बाल विवाह के संबंध में''	दैनिक भास्कर में प्रकाशित समाचार दिनांक 20.04.2015	प्रसंज्ञान लिया गया। जिला कलक्टर चितौडगढ को पत्रांक रामआ / प्रसंज्ञान–12 / 2016 / 610 दिनांक 20.04.2015 प्रेषित
26	29.04.2016	''छात्रसंघ अध्यक्ष को मिल रहे धमकी भरे मैसेज और कॉल''	राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित समाचार दिनांक 28.01.2016	प्रसंज्ञान लिया गया। जिला पुलिस अधीक्षक, अजमेर को पत्रांक रामआ / प्रसंज्ञान– / 2016 / 899 दिनांक 29.04.2016 प्रेषित

अध्याय–9

राज्य सरकार को प्रेषित अनुशंसाएं

राज्य महिला आयोग द्वारा महिला उत्पीड़न की रोकथाम, महिला सशक्तीकरण व महिला कल्याण कार्यक्रमों के लिए नीति निर्धारण हेतु राज्य सरकार को अनुशंसा भेजी गई जो इस प्रकार है।

आयोग द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित अनुशंसा वर्ष 2015–16

क्र. सं.	दिनांक	पत्रांक	नाम	विषय
1.	21.01.16	7533	माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार	पीड़ित महिलाओं के धारा 164 सी.आर.पी.सी. के बयान कलमबद्ध करवाते समय वीडियोग्राफी एवं 164 सी.आर.पी.सी. के कथनों से मुकर जाने के संबंध में।

राजस्थान राज्य महिला आयोग

लाल कोठी, टोंक रोड, जयपुर

फोन नं. 0141–2779002,3,4, फैक्स नं. 2779002, हैल्प लाईन नं. 1091

म्.उंपस रू तंरण तंरलंउीपसंलवह/हउंपसण्बवउ

क्रमांकः दिनांकः

<u>कार्यालय आदेश</u>

राजस्थान राज्य महिला आयोग का वर्ष 2015–2016 का वार्षिक प्रतिवेदन का प्रारूप तैयार करने हेतु निम्न प्रकार केमटी का गठन किया जाता हैः–

1	श्री महेश पालीवाल, स्टेनोग्राफर	कमेटी संयोजक
2	श्री जगदीश खत्री, निजी सहायक, माननीय अध्यक्ष	सदस्य
3	श्री राजकुमार शर्मा, कनिष्ठ लिपिक	सदस्य

वार्षिक प्रतिवेदन का प्रारूप दिनांक 11.05.2016 तक तैयार कर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत किया जायें। उक्त कार्य के सम्पादन हेतु निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष तथा सहायक लेखाधिकारी आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।

सदस्य सचिव

प्रतिलिपि सूचार्थ :–

1. निजी सचिव,/निजी सहायक माननीय अध्यक्ष, रामआ, जयपुर।
2. निजी सहायक, सदस्य सचिव, रामआ, जयपुर।
3. सहायक लेखाधिकारी, रामआ, जयपुर।
4. श्री महेश पालीवाल, स्टेनोग्राफर, रामआ, जयपुर।
5. श्री राजकुमार शर्मा, कनिष्ठ लिपिक, रामआ, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

सदस्य सचिव

महिला हेल्पलाइन द्वारा निस्तारित सफल प्रकरणों का विवरण

आयोग (01.04.2015 से 31.03.2016 तक) में प्राप्त आवेदनों पर दोनों पक्षों के बीच समझाइश कर कई प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इनमें से कुछ सफल प्रकरण निम्नानुसार है:—